इन्क़लाबी मज़दूरों पर संघी गुंडों का हमला, पुलिस निष्क्रिय

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मणिपुर में संघ द्वारा प्रायोजित साम्प्रदायिक एवं जातीय हिंसा पर जवाब देने से जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बचते फिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अंध-भक्त इस मुद्दे को दबाने के लिये पूरी गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं।

दिनांक 23 जुलाई शाम करीब साढ़े 6 बजे इन्क़लाबी मज़दूर केन्द्र का एक जत्था जिसमें दर्जनों महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे, गोंच्छी स्कूल के पास नुक्कड़ सभा कर रहे थे। इसके माध्यम से जत्था उपस्थित लोगों को मणिपुर की भयावह स्थिति एवं उसका पूरे देश पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करा रहा था, तभी सहदेव व मोहित शर्मा अपने आठ-दस, लाठी-डंडाधारी गुडों के साथ वहां पहुंचा। लगभग सभी शराब के नशे में थे। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि यहां मणिपुर का मुद्दा नहीं चलेगा, पहले चलो इन मुल्लों की दुकाने बंद करवाने जो मंगलवार हमारे हनुमानजी के दिन भी मुर्गे काटते हैं। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने की कहते हुए इन्क़लाबी मज़दूरों को धमकाया, जब मज़दूर नहीं माने तो नौबत धक्का-मुक्की व मार-पीट की आ गई। इस बीच गुंडा तत्वों ने महिलाओं से छेड़खानी व बदतमीजी भी शुरू कर दी। इसी दौरान इलाके के कुछ समझदार लोगों ने दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर मामले को रफ़ा-दफ़ा कर दिया। इसके बाद जब जत्था अपना कार्यक्रम पूरा करके लौट रहा था तो अचानक पीछे से इसी गुंडा गिरोह ने मज़दूरों पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड आदि से हमला कर दिया। इससे अनेकों मज़दूर घायल हो गये, दो मज़दूरों के सिर भी फूट गये। 112 नम्बर पर फोन करने पर तुरन्त पुलिस भी आ गई। इस पुलिस ने मामला थाना मुजेसर की संजय नगर पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। चौकी वालों की उदासीनता तथा घायल मज़दूरों की गंभीरता को देखते हुए 112 नम्बर वालों ने ही तीन घायलों में से दो को बल्लबगढ़ के सिविल अस्पताल में छोड़ा तथा तीसरे को खुद वहां पहुंचने को कहा क्योंकि उनकी गाड़ी में जगह नहीं थी।

धूर्त चौकी इंचार्ज की निकृष्टता

नियमानुसार चौकी में आनेवाले किसी भी घायल शिकायतकर्ता का मेडिकल करवाना पुलिस का दायित्व होता है। इस तरह का मेडिकल मुफ्त अथवा नाम मात्र की फीस से ही हो जाता है। लेकिन चौकी इंचार्ज की धूर्तता के चलते तीनों घायलों को 250-250 के हिसाब से कुल 750 रुपये देकर मेडिकल करवाना पड़ा। डॉक्टरों की सलाह पर अतिरिक्त खर्चा करके सीटी स्कैन आदि भी उन्हें प्राइवेट दुकानों से कराने पड़े। इससे भी अधिक दुख वाली बात तो यह रही कि चौकी वालों ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट आदि को रिकॉर्ड में लेने से ही इन्कार कर दिया।

समझा जा सकता है कि पुलिस संघी लफ़ंगों के दबाव एवं टुकड़ों पर पलने के चलते अपने कर्तव्य में कोताही कर रही है। ऐसे गुंडों के खिलाफ़ कार्यवाही न करके पुलिस उनकी गुंडागर्दी को ही प्रोत्साहित कर रही है। परन्तु इस पुलिस को यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे गुंडों से निपटना मज़दूर खूब अच्छे से जानते हैं। मज़दूर अपने संगठन अपने बल पर चलते हैं न कि पुलिस के बल पर। क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा के महासचिव कॉमरेड सत्यवीर ने तो बाकायदा घोषणा कर दी है कि वे अपनी ताकत के साथ संघी लफ़ंगों से निपटने को पूरी तरह से तैयार हैं। इनके अलावा तमाम स्थानीय मज़दूर संगठनों, सीटू, एचएमएस व एटक आदि ने भी इस मुद्दे पर इन्क़लाबी मज़दूर केन्द्र का साथ देने की हुंकार भरी है।

लूट कमाई की एक और योजना बना रहे 'हूडा' अधिकारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) सरकार के किसी भी महकमे की तरह 'हूडा' विभाग भी लूट कमाई में किसी से पीछे रहने वाला नही है। प्लॉट धारकों के प्रत्येक काम, चाहे वह ट्रांसफर का हो, सेल परचेज का हो, नक्शा पास कराने का हो, बैंक में गिरवी रखने का हो, हर काम की रिश्वत तय है। सबसे बड़ी लूट कमाई मकानों के कम्पलीशन सर्टिफिकेट से होती है। इसके लिये 1 लाख से लेकर कई लाख तक की वसूली 'हूडा' वाले कर लेते हैं। इस काम पर लगने वाले एसडीओ सर्वे तथा जेई आदि अपने आकाओं को मोटी फ़ीस देकर लगते हैं।

रोजमर्रा के इन काले-पीले धंधों के अलावा लूट कमाई के और भी अनेकों धंधे इन अधिकारियों ने खोज रखे हैं। ऐसा ही एक धंधा सेक्टर 20 ए में देखने को मिल रहा है। यहां स्थित मैन हैटन के पिछवाड़े प्लॉट नम्बर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 आदि-आदि प्लॉटों पर इन अधिकारियों ने पॉलिथीन की झुग्गियां अपने एक चहेते से बनवा रखी हैं। 'हूडा' द्वारा वर्षों पहले बेच दिये गये इन प्लॉटों के मालिक अब कब्जा लेने के लिये 'हूडा' दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं।

भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 'हूडा' अधिकारी इन बनावटी झुग्गियों को हटवाने तथा उसके बाद तमाम प्लॉटों को टीन की चारदीवारी से घेरने का एक बड़ा टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। टेंडर उठाने वाला ठेकेदार उन झुग्गियों को हटवा कर प्लॉटों की घेराबंदी करने के नाम पर 'हूडा' से अच्छी-खासी वसूली करने वाला है। जाहिर है कि इस सम्भावित वसूली को ठेकेदार अकेला तो हजम नहीं कर सकता। इसमें से उसे प्रशासक तथा सम्पदा अधिकारी को बराबर का हिस्सा तो देना पड़ेगा तभी यह लूट कमाई हजम हो पायेगी।

लखानी के मज़दूरों ने भविष्य निधि विभाग को जगा दिया है

क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा

छोटी-बड़ी, 28,000 से अधिक उद्योग वाली, उद्योग नगरी फ़रीदाबाद के हज़ारों मालिक, जुलाई महीने में हैरान हो गए, जब उन्हें, सेक्टर 15-ए स्थित, कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ईपीएफओ) से ऐसे नोटिस प्राप्त हुए, जिन्हें वे भूल चुके थे। विभाग ने कुल 1023 कंपनियों को नोटिस भेजकर पूछा है कि उन्होंने अपने मज़दूरों का भविष्य निधि अंश, सरकारी ख़ज़ाने में क्यों जमा नहीं किया है? नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर, अगर उन्होंने पीएफ का बक़ाया पैसा जमा नहीं किया, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार, इनमें से 80 कंपनियों ने पूरी बक़ाया राशि जमा कर दी है। अन्य ने अनुपालन करने के लिए वक़्त मांगा है। मोदी-पूर्व काल में इसे दैनंदिन की स्वाभाविक कार्यवाही माना जाता, लेकिन मोदी के 'अमृत काल' में, ये इतनी बड़ी ख़बर है कि अमर उजाला अख़बार ने इसे प्रमुखता से कवर किया और ये ख़बर, महानगर के मज़दूरों में चर्चा का विषय बनी हुई है।

राजनीतिक रूप से सचेत मज़दूर, इस 'उपलब्धि' के लिए, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये आसान काम नहीं था। पिछले साल, 21 अक्टूबर को, 'लखानी फुटवेयर प्रा. लि, 266, सेक्टर 24', के गेट पर, दो साल से, हर महीने नियमित चिल्लाने वाले, 19 मज़दूरों ने तय किया कि इस तरह चिल्लाते रहने और फिर मायूस होकर, हाय सी मारकर, अपने खून-पसीने की कमाई को, इस शातिर मालिक के लिए छोड़ बैठने का रास्ता वे नहीं अपनाएंगे। उन्होंने, 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' से संपर्क किया और कहा, बताइए, हम क्या करें? टाउन पार्क, सेक्टर 12 में हुई मीटिंग के बाद, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' नाम के, मज़दूरों के संघर्ष के अपने औज़ार का निर्माण हुआ। मीटिंग के तुरंत बाद, पूरी टीम, पास ही स्थित, 'श्रम-उपायुक्त एवं निदेशक कार्यालय' पहुंची। श्रम अधिकारियों ने हमदर्दी दिखाई लेकिन 'लखानी का मामला है, वह तो हमारे बुलावे पर भी नहीं आता', कुछ ऐसी लम्बी सांस लेते हुए बोला, कि कई मज़दूरों को उम्मीद की किरण नज़र आनी भी बंद हो गई। वे समझ गए कि कुछ नहीं होने वाला और फिर किसी मीटिंग में नज़र नहीं आए।

पिछली दिवाली के बाद, 26 अक्टूबर को पीएफ़ विभाग पर हुई मीटिंग में, पहली मीटिंग वाले कई मज़दूर नहीं आए लेकिन पी एफ पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया है, यह मालूम पड़ जाने पर, उनसे भी ज्यादा, नए मज़दूर शामिल हो गए। भविष्य निधि विभाग के कार्यकारी उप-आयुक्त ने, संदेश भिजवाया कि ज्ञापन देने और चर्चा करने, 2 लोग चैम्बर में आ जाओ। क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा ने तय किया था कि सभी लोग एक साथ अंदर जाएंगे, क्योंकि तब तक लखानी के मज़दूरों का भरोसा वह पूरी तरह नहीं जीत पाया था। 'साहब' ने भी, दफ़्तर में हो रहे मज़दूरों के 'न्यूसेंस' से मुक्ति पाने के लिए, सभी को अंदर बुला लिया। 'सर, ये लखानी के, वे मज़दूर हैं, जिनके वेतन से नियमानुसार, 12 प्रतिशत रक़म, भविष्य निधि के नाम पर काटी जाती रही है, लेकिन मालिक ने अपना अंश तो दूर मजदूरों से वसूला गया अंश भी डाकर लिया। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उपश्रमायुक्त बोल पड़े, 'अरे तुम लोग 2 साल की बात कर रहे हो, लखानी तो 2012 से पी एफ का पैसा जमा नहीं कर रहा!!' कई मज़दूर एक

स्वर में बोल पड़े, 'सर हम 'पीडी' की बात नहीं कर रहे, बड़े भाई के सी लखानी की बात कर रहे हैं'। 'अच्छा, तो छोटे भाई को देखकर बड़ा भी रंग बदल गया!!' उपश्रमायुक्त की इस, स्वीकारोक्ती से पीएफ विभाग के निकम्मेपन की तीव्रता का अहसास हुआ।

मीटिंग के बाद, एक बार फिर, ढुलमुल यकीन मज़दूर, मायूसी की गहराई में उतर कर, किनारा कर गए। 'क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा' को भी अहसास हुआ कि ये लड़ाई उतनी आसान नहीं, जितनी नज़र आती है। लड़ने में मज़ा भी तब ही आता है जब हिम्मत और ताक़त पूरी तरह इस्तेमाल करने का अवसर मिल। ये तो तय था ही कि संघर्ष, कामयाबी मिले बगैर रुकने वाला नहीं। दूसरी अच्छी बात, इस स्टेज में ये हुई कि जैसे थ्रेशर में पड़ने से, गेहूं से भूसा अलग हो जाता है, ठीक उसी तरह, लखानी के जो मज़दूर उसके बाद, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' के साथ बचे, वे सब स्टील की तरह मज़बूत थे!!

भविष्यनिधि विभाग की ओर से हमें, एक पत्र, दिनांक 03.11.22, डायरी न 6741 प्राप्त हुआ, जिसमें हमसे, पिछले 10 साल के दौरान, लखानी के मज़दूरों से हुई पीएफ कटौती के सबूत मांगे गए थे। बात तो ये गुस्सा दिलाने वाली थी, क्योंकि जिस काम को करने की पी एफ विभाग के अधिकारी, मोटी-मोटी तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ी बंगले का सुख भोगते हैं, उसे करने का फ़रमान हमें ज़ारी कर रहे थे, लेकिन, ये जानकर अच्छा भी लगा कि हमारा ज्ञापन/शिकायत डस्ट बिन में नहीं पहुंचा है। उसके बाद तय हुआ कि इस मुद्दे को अब, ठंडा नहीं पड़ने दिया जाएगा, सम्बंधित अधिकारीयों की नाक में दम करने के लिए, हर सप्ताह, उन्हें 'डिस्टर्ब' किया जाएगा।

इस बीच, एक ज़िम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी का ज़िक्र ज़रूरी है, हालांकि, विनम्रतावश, वे, यह पसंद नहीं करते। 26 अक्टूबर को ही जब, लोकल मीडिया की मौजूदगी में गुस्से में तिलमिलाए मज़दूर, पी एफ विभाग पर लानतें भेज रहे थे, उसी दिन सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार को, मज़दूरों को शांत कर, उन्हें टरकाने के मक़सद से, नीचे भेजा गया था। 'मेरा भरोसा करिए, शांत हो जाइये, अपने घर चले जाइये, सब के साथ न्याय होगा', उस दिन, उनकी इस इस गुहार को 'सरकारी जुमलेबाज़ी' समझकर नज़रंदाज़ कर दिया गया था।

अगले दिन उनसे जब बात हुई और उन्होंने कहा, 'मैं डीसीएम (डेल्ही क्लॉथ मिल) मज़दूर का बेटा हूं, मैंने हड़तालें देखी हैं, फ़ाके सहे हैं', तब उनकी आंखों की चमक से लगा, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन पाला लखानी से पड़ा था, जो श्रम क़ानूनों को ना मानने को, अपनी प्रतिष्ठा समझता है, पूर्व-मुख्यमंत्री से 'उद्योग श्री' का ख़िताब हासिल कर चुका है, 'मैंने आजतक किसी मज़दूर मोर्चे को अपनी कंपनी में नहीं घुसने दिया, ये क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा कहां से पैदा हो गया', कहकर शेखी बघारता रहता है, इसलिए आंदोलन की आंच में कोई कमी नहीं आने दी गई। कृष्ण कुमार अपनी ज़िम्मेदारी बदस्तूर निभा रहे हैं लेकिन भविष्यनिधि विभाग को बहुत सारे 'कृष्ण कुमार' चाहिएं।

24 अप्रैल को एक और ज्ञापन सौंपकर, विभाग से अनुरोध किया गया कि, 'अमानत में ख़यानत' के अपराध के लिए, लखानी के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत आपराधिक मुक़दमा दर्ज किया जाए। साथ ही, लखानी की संपत्ति बेचकर, बैंक जो वसूली कर ले गए हैं, उनके विरुद्ध भी मुक़दमा दर्ज कर, उनसे वसूली की जाए क्योंकि अगर कोई कंपनी डूबती है, तो उसकी माल-मत्ता को बेचकर होने वाली वसूली में पहला हक़ मज़दूरों का होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि मज़दूरों के इस आंदोलन के अगले चरण का केंद्र बिन्दु, फरीदाबाद नहीं, बल्कि उनका हेड ऑफिस दिल्ली रहेगा। उसी दिन डी सी कार्यालय को भी लिखित आवेदन दिया गया कि मुख्यमंत्री के आगामी 'जनता दरबार' में, जहां वे लम्बी-चौड़ी घोषणाएं करते हैं, 'लखानी मज़दूर संघर्ष समिति' भी शामिल रहेगी। 27 अप्रैल को भविष्यनिधि विभाग से एक और पत्र नम्बर 155 प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि के सी लखानी ने मज़दूरों के भविष्यनिधि बकाया के लगभग 18 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। उसके विरुद्ध सेंट्रल पुलिस थाने में एफआईआर हो चुकी है। बकाया राशि जमा करने के लिए, वह एक महीने की मोहलत मांग रहा है।

पूंजीवादी कोल्हू का एक ही क़ायदा है, मालिक मज़दूरों का जितना खून निचोड़ेगा, उसका मुनाफ़ा उतना ही बढेगा, मालिकों की आपसी गला-काट प्रतियोगिता में वह उतना ही टिकेगा। इसीलिए, मज़दूरों के पीएफ-ईएसआईसी कटौती भी डकार जाने की ये बीमारी, यूं तो, देश भर में है लेकिन खास तौर पर फ़रीदाबाद में फैलती जा रही ह। मज़दूरों का बढ़ता आक्रोश कहीं विस्फोट की शक्ल ना ले ले, इसलिए भविष्यनिधि विभाग ने फ़रीदाबाद में, श्रम उपायुक्त के पद पर, एक प्रतिष्ठित अधिकारी, निशा पी वी की नियुक्ति की है। वे इस फरीदाबादी रोग को अच्छी तरह पहचानती हैं क्योंकि मुख्य सतर्कता अधिकारी रह चुकी हैं। उनके आते ही, हर वक़्त मज़दूरों का हक़ हड़पने की जुगत लगाते, ढीठ कारखानेदारों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लेकिन, कारखानेदारों को, मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई, 'व्यवसाय की सुगमता' इतनी कच्ची नहीं!! अभी तक फ़रीदाबाद में एक भी इंस्पेक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है।

इंस्पेक्टर कारखाने में जाकर जांच करेगा, तब ही तो पता चलेगा कि 1023 कंपनियां क़सूरवार हैं या असली आंकड़ा इसका कई गुना है।

कुल कितने मज़दूर काम करते थे/ हैं, उनका पी एफ का कुल कितना पैसा देना बनता है, उस पर कितना ब्याज और दंड बनता है, मतलब कुल लायबिलिटी कितनी है, यह तो उसके बाद ही पता चलेगा। एक बात लखानी के बहादुर मज़दूरों ने, फ़रीदाबाद के दूसरे मज़दूरों को ज़रूर सिखा दी है, मौजूदा शासन तंत्र, अमीरों द्वारा, अमीरों के लिए बनाया गया है। नतीज़तन, मज़दूरों को दो काम करने होंगे। पहला, अपने हक़ हांसिल करने के लिए, इकट्ठे होकर, इस जर्जर तंत्र को लगातार झकझोरते रहना होगा।